03.01.22 पत्रावली फॉलो अप कैम्प, बखाल में पेश हुई। तहसीलदार कि० रेनवाल ने जमाबंदी प्रस्तुत पर निर्देश दिया कि DILRMP के तहत प्रस्तावित त्रुटि कर दी गयी है अब कोई नाम बाकी अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाए।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन उपरांत त्रुटि हो जाने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली के साथ दुरुस्त होने तक से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया।

03/01/22

श्रीमान जी,
प्रकरण में DILRMP के तहत हिस्सा दुरुस्ती होकर रिकार्ड में 1/1 हो गया है प्रकरण में वर्तमान में पाई प्रस्तावित हिस्सा रिकार्ड में दुरुस्ती होकर रिकार्ड होकर प्रकरण में पाई गई चस्पा जाना अपेक्षित नहीं है खारिज किया जाना उचित है।
03/01/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:33:08 IST
Reason: SelfAttested